

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण संख्या 64/2019 वाद

हरिकिशन कुम्हार व अन्य

// बनाम //

योजना अधिकारी (नरेगा) व अन्य

वाद धारा 188 रा0का0अधि0

निर्णय

दिनांक 21.08.2019

पत्रावली पेश हुई । वकील उभयपक्ष उपस्थित । वकील वादी ने प्रकरण में नोट प्रेस किया है। अतः प्रकरण नोट प्रेस में खारिज किया जाता है । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

